न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :– 28/2023

जीसीएमएस नम्बर :– 2023/241

अनवान

1. भंवरलाल पिता खेमराज ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. पन्नालाल पिता खेमराज ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. निलाशंकर पिता खेमराज ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4. दुर्गा पुत्री खेमराज ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन रंगरेज – प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 07.05.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम नारायणखेड़ा पटवार हल्का नारायणखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त के खाता संख्या 22 में अंकित आराजी संख्या 34 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 35 रकबा 0.15 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.31 है0 भूमि दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है। उक्त भूमियां पूर्व में प्रार्थीगण के पिता खेमराज पिता खुशाल के नाम दर्ज रेकार्ड थी जिसके साबिक नम्बर 26 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा थे। प्रमाण में पुरानी जमाबन्दी, वर्तमान जमाबन्दी की नकल प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। उक्त वर्णित भूमियां प्रार्थीगण के पिता के द्वारा कय किया गया था उक्त भूमियों का कय का नामान्तकरण होग गया। भू प्रबन्ध के दौरान रोटेशन की जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता खेमराज पिता कुशाल के बजाय विजराम पिता खुशाल ब्राहम्ण अंकित कर दिया गया जो गलत होकर अवैध है। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थीगण के पिता नाम गलत होने से प्रार्थीगण के नाम नामान्तकरण दर्ज नही हो पा रहा है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम नारायणखेड़ा की उक्त वर्णित खाता संख्या 22 में अंकित आराजियात में प्रार्थीगण के पिता नाम विजराम पिता कुशाल के बजाय खेमराज पिता कुशाल दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम सादर फरमाया जावे। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दुरस्ती करने का आदेश विपक्षी को प्रदान फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को

नोटिस जारी किया गया जिसके [illegible] तहसीलदार रायपुर द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम नारायणखेड़ा जमाबन्दी संवत 2052–2055 के खाता संख्या 12 में आराजी संख्या 26 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा जरिय बैचान ना0स0 398 दिनांक 15.03.2000 से विक्रेता सोसर बेवा मंगनीराम 1/2 के बजाय खेमराज पिता कुशाल ब्राहम्ण के नाम दर्ज की स्वीकृती का अंकन हुआ है। इसके पश्चात् नवीन भू प्रबन्ध होकर प्रथम आधार वर्ष 2057–2076 की जमाबन्दी कायम हुई उसमें खाता संख्या 22 पर नवीन आराजी संख्या 34 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 35 रकबा 0.15 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.31 है0 भूमि खेमराज पिता कुशाल 1/2 ब्राहम्ण के बजाय विजराम पिता कुशाल 1/2 ब्राहम्ण का अंकन हो गया जो त्रुटिपूर्ण है। साबिक आराजी संख्या 26मी. के नवीन आराजी संख्या 34 व 35 बने है जो सही है साक्ष्य में साबिक एवं नवीन जमाबन्दी एंव मिलान क्षेत्रफल संलग्न है। ग्राम नारायणखेड़ा में विजराम पिता कुशान नाम को कोई व्यक्ति नही हैं। प्रार्थी भंवरलाल पिता खेमराज ब्राहम्ण की वर्तमान में मृत्यु हो चुकी है। खेमराज पिता कुशाल ब्राहम्ण द्वारा क्रय की गई आराजी पर कब्जा काश्त खेमराज के वारीसान का ही है। अतः उक्त प्रकरण में ग्राम नारायणखेड़ा की जमाबन्दी संवत 2074–77 के खाता संख्या 22 में आराजी संख्या 34, 35 कुल किता 2 कुल रकबा 0.31 है0 में अंकित खातेदार विजराम पुत्र कुशाल हिस्सा 1/2 ब्राहम्ण के बजाय खेमराज पुत्र कुशाल हिस्सा 1/2 ब्राहम्ण सा.देह के नाम या उनके मृत्यु होने से उनके वारीसान के नाम अंकन हेतु श्रीमान् को अपेक्षित जांच रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध साबिक व नवीन राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट का गंभीरता से विचार किया तो पाया कि प्रार्थीगण के पिता नाम भू प्रबन्ध के दौरान रोटेशन की जमाबन्दी में खेमराज पिता कुशाल ब्राहम्ण के बजाय विजराम पिता कुशाल ब्राहम्ण दर्ज हो रखा है जो एक लिपिकीय त्रुटी है। तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट अनुंशषा के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि पटवार हल्का नारायणखेड़ा के ग्राम नारायणखेड़ा के राजस्व खाता संख्या 22 में अंकित विजराम पुत्र कुशाल ब्राहम्ण के बजाय खेमराज पिता कुशाल ब्राहम्ण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार संशोधित किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :– 28 / 2023

जीसीएमएस नम्बर :– 2023 / 241

अनवान

1. भंवरलाल पिता खेमराज ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. पन्नालाल पिता खेमराज ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. निलाशंकर पिता खेमराज ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4. दुर्गा पुत्री खेमराज ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रेषित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा इन्द्राज दुरस्ती बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि पटवार हल्का नारायणखेड़ा के ग्राम नारायणखेड़ा के राजस्व खाता संख्या 22 में अंकित विजराम पुत्र कुशाल ब्राहम्ण के बजाय खेमराज पिता कुशाल ब्राहम्ण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार संशोधित किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

हुक्मनामा आज दिनांक 07.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा